छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-20

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2016

(चैत्र 11, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 06, 08, 10 से 14, तथा 16 से 20 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 02, 07, 09 एवं 15 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री संतोष बाफना, उमेश पटेल, संतोष उपाध्याय एवं दीपक बैज अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री मोतीराम चंद्रवशी, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए:-

   (1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या - 2)

(2) राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या -3)

(3) राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन,

(4) सामान्य, सामाजिक व आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या - 1) एवं

(5) स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-2),

2. श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के तकनीकी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत महालेखाकार, छत्तीसगढ़ से प्राप्त, 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या - 2), तथा

3. श्रीमती रमशिला साहू, समाज कल्याण मंत्री ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्तजन छत्तीसगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 42 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल कर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(1) श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा देने में असफल होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने जिला महासमुंद में औद्योगिक एवं आवासीय भूमियों के डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा नहीं होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत सोननदी में स्टापडेम कम एनीकट के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

5. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज वरिष्ठ सांसद श्री नंदकुमार साय अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना(क्रमश:)

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के विकासखंड मालखरौदा की नगर पंचायत अड़भार में पेंशन भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक सदस्य

5. श्री भूपेश बघेल
6. श्री भूपेश बघेल

8. श्री देवजी भाई पटेल
9. श्री शिवरतन शर्मा
10. सर्वश्री बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, श्रीमती देवती कर्मा
11. डॉ. विमल चोपड़ा
13. श्री मोहन मरकाम
14. सर्वश्री देवजी भाई पटेल, बघेल लखेश्वर, सत्यनारायण शर्मा
16. श्री शंकर ध्रुवा
17. श्री बृहस्पत सिंह
18. श्री संतराम नेताम
20. श्री नवीन मारकण्डेय
21. सर्वश्री दीपक बैज, बघेल लखेश्वर
22. श्री देवजी भाई पटेल
23. श्री संतराम नेताम
25. श्री केशव चंद्रा
26. सर्वश्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम
27. सर्वश्री बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम
28. श्री बृहस्पत सिंह
29. श्री देवजी भाई पटेल
31. श्री भूपेश बघेल
32. सर्वश्री बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, संतराम नेताम
33. श्री देवजी भाई पटेल
34. डॉ. विमल चोपड़ा
36. सर्वश्री मोहन मरकाम, बघेल लखेश्वर
37. श्री केशव चंद्रा
38. श्री मोतीलाल देवांगन
41. श्री देवजी भाई पटेल
42. श्री नवीन मारकण्डेय

(कार्यसूची के वर्तमान पद क्रमांक 4 से 7 को पुनर्क्रमांकित कर पद क्रमांक 5 से 8 पढ़ा जावे तत्संबंधी अनुपूरक कार्यसूची जारी हुई)

7.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री नरनारायण सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व राज्य मंत्री के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्‌वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 1.28 बजे स्थगित होकर 1.37 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को उन्होंने सदन में 15 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री भूपेश बघेल
(2) श्री धनेन्द्र साहू
(3) श्री बृहस्पत सिंह
(4) श्री मोहन मरकाम
(5) श्री दलेश्वर साहू
(6) श्री अमित अजीत जोगी
(7) श्री टी.एस.सिंहदेव
(8) श्री दीपक बैज
(9) डॉ.प्रीतम राम
(10) श्री देवजी भाई पटेल
(11) श्री अशोक साहू
(12) श्री सत्यनारायण शर्मा
(13) श्री श्रवण मरकाम
(14) श्री संतराम नेताम
(15) डॉ. विमल चोपड़ा

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1. श्री शिवरतन शर्मा, सभापति ने सरकरी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का उनचालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तिरालीसवां, चौवालीसवां, पैंतालीसवां एवं छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
3. श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
4. श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री संतराम नेताम
(2) श्री रोशन लाल अग्रवाल

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री भूपेश बघेल, देवजी भाई पटेल, संतराम नेताम।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने खंड 2 में संशोधन प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने संशोधन पर चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

2. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.श्रीमती रेणु जोगी,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

3. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री बृहस्पत सिंह, डॉ. खिलावन साहू।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।
खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

4. छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, शिवरतन शर्मा, सियाराम कौशिक, (डॉ.) विमल चोपड़ा, भूपेश बघेल, कवासी लखमा।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

5. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, अवधेश सिंह चंदेल, श्यामलाल कंवर।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

6. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्रीचंद सुंदरानी ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

7. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री श्यामलाल कंवर, श्रीचंद सुंदरानी।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

8. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री भूपेश बघेल, श्रीचंद सुंदरानी।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री श्रीचंद सुंदरानी।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

10. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री भूपेश बघेल, श्रीचंद सुंदरानी।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

11. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री भूपेश बघेल, शिवरतन शर्मा, देवजी भाई पटेल।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

12. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

13. छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

14. छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

15. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

12. वक्तव्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने मड़वा ताप विद्युत परियोजना संयंत्र से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने के संबंध में वक्तव्य दिया।

13. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ0 विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के जिलाधीश श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

14. नियम 167 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167(1) के परन्तुक के अंतर्गत -

1. माननीय सदस्य श्रीमती तेजकुंवर नेताम द्वारा डॉ. निशांत सोरी के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2015,
2. माननीय सदस्य श्रीमती देवती कर्मा द्वारा एस.डी.ओ. (पुलिस) किरन्दुल श्री मिर्जा बेग के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 2 मार्च, 2016, तथा

3. माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा श्री जे.पी. मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 11 मार्च, 2016, को विचारोपरांत उन्होंने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

15. अध्यक्षीय व्यवस्था

(1)

अध्यक्ष महोदय :- सदन को स्मरण होगा कि दिनांक 18 मार्च, 2016 को माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा ने सभा में उनके द्वारा दिनांक 17 मार्च को आसंदी के प्रति उनके द्वारा कहे गए शब्दों के संबंध में यह कथन किया गया था कि **मुझे अपनी बात को भी वापस लेने में कोई एतराज नहीं है, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं.....मैं आदेश का पालन कर रहा हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं ।**

मैंने तत्समय आसंदी के निर्णय दिनांक 17 मार्च के संबंध में यह कथन किया था कि **माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी के अपने द्वारा कहे गए शब्दों को वापस लेने और माननीय सभी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की गई हैं । निश्चित रूप से उनकी मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रति जो टिप्पणी की गई है, उसमें जो भी शब्द होगा, कार्यवाही से अलग करने के बारे में विचार करूंगा ।**

मैं इस अवसर पर यह व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सभा ने सर्वानुमति से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए इस सभा के संचालन का दायित्व सौंपा है । सभा का संचालन नियमों एवं परंपराओं के अनुरूप ही हो सकता है । ऐसे अनेक अवसर कार्यवाही के दौरान आते हैं, जब कोई सदस्य मेरे निर्णय से सहमत न हो, किंतु ऐसे अवसरों पर भी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा रहती है कि वे आसंदी के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें और ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें जो आसंदी की अधिकारिता को चुनौती स्वरूप हो ।

मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आसंदी सभा से प्राप्त शक्तियों से ही कार्यवाही का संचालन करती है और यह शक्ति आसंदी को आप सबके आसंदी के प्रति समादर की भावना से प्राप्त होती है ।

मैंने सभा में दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा एवं माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा व्यक्त भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17 मार्च, 2016 को हुई कार्यवाही एवं मेरे निर्णय पर विचार किया । आसंदी की व्यवस्था निर्णय स्वरूप होती है, जिसे विलोपित नहीं किया जा सकता और न ही उसके किसी अंश या किन्हीं शब्दों को विलोपित किया जा सकता, किंतु माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा व्यक्त भावना एवं तत्समय पक्ष एवं प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं पर विचार करते हुए मैं **निन्दा** के स्थान पर **अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं ।**

(2)

माननीय सदस्य श्री मोतीलाल देवांगन, श्री लखेश्वर बघेल एवं श्री भूपेश बघेल ने दिनांक 18 मार्च, 2016 को एक पत्र तथा माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने दिनांक 21 मार्च, 2016 को एक पृथक विशेषाधिकार भंग की सूचना सुसंगत दस्तावेजों के साथ संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि सभा में माननीय सदस्यों से अपेक्षित आचरण के अंतर्गत पत्रक द्वारा सभा में मोबाईल फोन नहीं ले जाने और सूचना का प्रकाशन किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किये जाने, जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो, प्रचारित-प्रसारित नहीं करने का, पालन करने की अपेक्षा की जाती है ।

उपरोक्त तत्संबंधी प्रावधान छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय-23, प्रक्रिया के सामान्य नियम 237 (क) के अंतर्गत भी विद्यमान हैं । इसके बावजूद माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते हुए न केवल सभा में मोबाईल फोन लेकर आये, अपितु अपने भाषण के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग भी करते रहे । इसके संबंध में आसंदी से यह व्यवस्था भी दी गई थी कि इलेक्ट्रानिक गेजेट्स का उपयोग सभा भवन में प्रतिबंधित है । माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने उसकी रिकार्डिंग की और सभा के बाहर इलेक्ट्रानिक माध्यम से उसको वायरल किया।

पत्र एवं सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि यही नहीं माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने उनके द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 255 के अंतर्गत दी गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेस में वितरित करके माननीय सदस्यों से अपेक्षित आचरण के विपरीत आचरण किया है ।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने विशेषाधिकार भंग की सूचना के साथ एक सीडी संलग्न करते हुए यह आरोपित किया है कि माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने सभा में दिए गए उनके भाषण को भिन्न स्वरूप में इलेक्ट्रानिक माध्यम से वायरल किया ।

सदन को स्मरण होगा, जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में उल्लेख किया है, मैंने सभा में माननीय सदस्य श्री अमित जोगी के भाषण के दौरान उनके द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग किये जाने पर यह व्यवस्था दी थी कि सभा में इलेक्ट्रानिक गेजेट्स की अनुमति नहीं है ।

माननीय सदस्यों को नियमों के अंतर्गत जानकारी होने एवं समय-समय पर पत्रक द्वारा पालनीय नियम की ओर ध्यान दिलाये जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अमित जोगी न केवल मोबाइल फोन लेकर सभा भवन में आये, अपितु मोबाइल फोन का प्रयोग भी किया । माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने उनके द्वारा नियम 255 के अंतर्गत दी गई सूचना, जो ग्राह्य नहीं हुई थी, को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित किया और इस प्रकार सभा की

कार्यवाही के संबंध में आमजन के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, साथ ही बिना अनुमति के सभा की कार्यवाही में इलेक्ट्रानिक गेजेट्स का उपयोग किया ।

चूंकि माननीय सदस्य श्री अमित जोगी प्रथम बार निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी यह पहली चूक है, अत: मैं उनसे यह अपेक्षा रखता हूं कि वे भविष्य में इस सभा की गरिमा को बनाए रखेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जो माननीय सदस्यों से अपेक्षित आचरण के प्रतिकूल हो।

16. समितियों का निर्वाचन

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमश: नौ-नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमश: नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित किये जाना है, अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

लोक लेखा समिति

1. श्री शिवरतन शर्मा
2. श्री नवीन मारकण्डेय
3. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
4. श्री श्रीचंद सुन्दरानी
5. श्री रोशनलाल
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री धनेन्द्र साहू
8. श्री गुरुमुख सिंह होरा
9. श्री अमरजीत भगत

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री चुन्नीलाल साहू(खल्लारी)
3. डॉ0 सनम जांगड़े
4. श्री श्रीचंद सुन्दरानी
5. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. श्री चिन्तामणी महाराज
8. श्री उमेश पटेल
9. श्री संतराम नेताम

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री शिवरतन शर्मा
2. श्री अवधेश सिंह चंदेल
3. श्री रामलाल चौहान
4. श्री अशोक साहू
5. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
6. श्री मनोज सिंह मंडावी
7. श्री खेलसाय सिंह
8. श्री अरूण वोरा
9. श्री कवासी लखमा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नौ उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए नौ सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, अत: मैं निम्नानुसार

सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं:-

1. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
2. श्री श्रवण मरकाम
3. श्री रामलाल चौहान
4. श्री भोजराज नाग
5. श्री चुन्नीलाल साहू(खल्लारी)
6. श्री मोतीलाल देवांगन
7. श्री बृहस्पत सिंह
8. श्री दिलीप लहरिया
9. श्री दलेश्वर साहू

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

18. नाम-निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1), 208 के उप नियम (1), 213, 217 के उप नियम (1), 224 के उप नियम (2), 225 के उप नियम (1), 231 के उप नियम (2), 232 के उप नियम (1), 233 के उप नियम (1), 234-ग, 234-घ के उप नियम (2) एवं 234-ज के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2016-2017 की अवधि में सेवा करने के लिए तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ0 रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री
4. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री
5. श्री टी0एस0 सिंहदेव, नेताप्रतिपक्ष, विधान सभा
6. श्री भूपेश बघेल
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. डॉ0(श्रीमती) रेणु जोगी

विशेष आमंत्रित सदस्य:-

1. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा
2. श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री
3. श्री रामसेवक पैकरा, मंत्री
4. श्री खेलसाय सिंह
5. श्री धनेन्द्र साहू

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. डॉ0 खिलावन साहू
2. श्री रोहित कुमार साय
3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्री अशोक साहू
5. श्री धनेन्द्र साहू
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्री दीपक बैज

डॉ0 खिलावन साहू, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री श्रीचंद सुंदरानी
2. श्री बर्नाड जे0 रोड्रिग्स
3. श्रीमती केराबाई मनहर
4. श्री केशव चन्द्रा
5. श्री जयसिंह अग्रवाल
6. श्री जनकराम वर्मा
7. श्री संतराम नेताम

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री अशोक साहू
2. श्री रामलाल चौहान
3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री विद्यारतन भसीन
5. श्री भोलाराम साहू
6. श्री जनकराम वर्मा
7. श्री उमेश पटेल

श्री अशोक साहू, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री चुन्नीलाल साहू(खल्लारी)
2. डॉ0 सनम जांगड़े
3. श्री संतोष उपाध्याय
4. श्री देवजी भाई पटेल
5. श्री गुरुमुख सिंह होरा
6. श्री मनोज सिंह मंडावी
7. श्री रामदयाल उईके

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. श्री रोशनलाल
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री अरूण वोरा
7. श्री बघेल लखेश्वर

श्री संतोष बाफना, सदस्य को, इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री रोहित कुमार साय
2. श्री बनार्ड जे. रोड्रिग्स
3. श्री बघेल लखेश्वर
4. डॉ. प्रीतम राम
5. श्री राजेन्द्र कुमार राय

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
2. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव
3. श्री संतोष बाफना
4. श्री राजशरण भगत
5. श्री अवधेश सिंह चंदेल
6. श्री अमरजीत भगत
7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री श्यामलाल कंवर
9. श्री राजेन्द्र कुमार राय

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य को, इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री राजशरण भगत
2. श्री विद्यारतन भसीन
3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्री भोजराज नाग
5. श्री भैयाराम सिन्हा
6. श्री रामदयाल उईके
7. श्री मोहन मरकाम

श्री राजशरण भगत, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री अवधेश सिंह चंदेल
2. श्री रोशनलाल
3. श्री नवीन मारकण्डेय
4. श्री संतोष बाफना
5. श्री सियाराम कौशिक
6. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
7. श्री कवासी लखमा

श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य को, इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री नवीन मारकण्डेय
2. श्री संतोष उपाध्याय
3. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री कवासी लखमा
6; श्री मोतीलाल देवांगन
7. श्री दलेश्वर साहू

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. डॉ. खिलावन साहू
2. श्रीमती केराबाई मनहर
3. श्रीमती सरोजनी बंजारे
4. श्री पारसनाथ राजवाड़े
5. श्री लालजीत सिंह राठिया
6. श्री संतराम नेताम

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री व माननीय नेता प्रतिपक्ष समिति के पदेन सदस्य होंगे।

19. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों को वर्ष 2016-2018 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त करता हूं :-

1. श्रीमती संरोजनी बंजारे
2. डॉ. खिलावन साहू
3. श्रीमती केराबाई मनहर
4. श्री भोजराज नाग
5. डॉ. सनम जांगड़े
6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
7. श्रीमती अनिला भेंडिया
8. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
9. श्रीमती देवती कर्मा

श्रीमती सरोजनी बंजारे, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

20. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2016-2017 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूँ:-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
3. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री बद्रीधर दीवान, उपाध्यक्ष, विधान सभा
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री धनेन्द्र साहू
7. श्री शिवरतन शर्मा
8. श्री देवजी भाई पटेल

9. श्री राजमंहत सांवलाराम डाहरे
10. डॉ. खिलावन साहू
11. श्री श्रीचंद सुंदरानी
12. श्री अशोक साहू
13. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
14. श्री संतोष बाफना
15. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
16. श्री राजशरण भगत
17. श्री अवधेश सिंह चंदेल
18. श्री नवीन मारकण्डेय
19. श्रीमती सरोजनी बंजारे

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

21. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधान सभा का यह सप्तम सत्र एवं तृतीय बजट सत्र है। वर्तमान बजट सत्र माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक **19** जनवरी, **2016** को आहूत किया गया । यह सत्र दिनांक **1** मार्च, **2016** से **31** मार्च, **2016** तक के लिये निर्धारित था । तद्नुसार आज इसकी अंतिम बैठक है ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि वर्तमान सत्र में समस्त निर्धारित संसदीय कार्य पक्ष एवं प्रतिपक्ष के समन्वय से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुये। सत्र के लिये निर्धारित वित्तीय कार्य एवं अन्य कार्यों पर विचार-विमर्श के लिये आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक **1** मार्च, **2016** में समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हो सके और समस्त सदस्यों को चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर मिल सके इस उद्देश्य से शनिवार, दिनांक **19** मार्च एवं रविवार, दिनांक **20** मार्च, **2016** को भी अनुदान की मांगों पर चर्चा करने हेतु बैठक रखी जाये और यह भी निर्णय लिया कि अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ होने की तिथि **14** मार्च से सभा की कार्यवाही प्रति दिन सायंकाल **7.00** बजे तक बिना भोजन अवकाश के निरंतर जारी रहेगी ।

इस सभा के पूर्व सदस्य संत कवि श्री पवन दीवान के स्वर्गारोहण के फलस्वरूप दिनांक **2** मार्च को सभा द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और राज्य के नागरिकों में उनके प्रति समादर एवं श्रद्धा के भाव को विचार में लेते हुये तथा अधिकांश जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंत्येष्ठी में सम्मिलित होने की इच्छा के फलस्वरूप दिनांक **3** मार्च को अवकाश रखा गया । तद्नुसार वर्तमान सत्र में कुल **20** बैठकें हुई ।

वर्तमान सत्र दिनांक **1** मार्च को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ। आज **31** मार्च को सत्र के अंतिम दिवस पर मुझे यह उल्लेख करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि सभा की कार्यवाही के संचालन में आप समस्त पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों का मुझे पूर्ण सहयोग मिला। इस हेतु मैं सदन के माननीय नेता एवं नेता प्रतिपक्ष तथा आप सब माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से सभा की कार्यवाही गरिमापूर्ण रूप से सम्पन्न हुई।

मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि सत्र में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों ने भी अपने कार्य एवं व्यवहार से संसदीय परम्पराओं, प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास को स्थापित किया है और ऐसा कोई अवसर नहीं आया, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ हो कि आप प्रथम बार निर्वाचित सदस्य हैं । समस्त माननीय सदस्य सभा में जनहित के विषयों को उठाते हैं और प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह भी करते हैं ।

आप सभी माननीय सदस्यों ने मेरे प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हुये मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है और आप सबके मन में आसंदी के प्रति सम्मान की भावना के फलस्वरूप ही मुझे प्रत्येक परिस्थिति में निर्णय लेने में, आपका यही सम्मान का भाव मुझे सम्बल प्रदान करता है । यह आसंदी सभा से ही शक्ति प्राप्त करती है और सभा से प्राप्त शक्ति से ही सभा की कार्यवाही का संचालन संभव हो पाता है ।

वर्तमान सत्र में एकाध अवसर ऐसा भी आया जब तत्समय सभा की कार्यवाही में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई किन्तु पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य समादर एवं सम्मान की भावना रहते हुये ही ऐसा गतिरोध अल्पकाल के लिये ही रहा । गतिरोध के अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों की इस प्रदेश की ढ़ाई करोड़ जनता के प्रति जवाबदेही की भावना से ही यह संभव हो पाता है । इस सदन में गतिरोध कभी भी लम्बे समय तक के लिये नहीं रहता और इस हेतु आप सभी बधाई के पात्र है ।

सभा की कार्यवाही में गतिरोध के अवसर पर जब प्रतिपक्ष के सदस्य सभा की कार्यवाही से बहिर्गमन कर बाहर चले गये तब चूंकि वित्तीय कार्य सम्पादित हो रहा था, जो कि सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसे कार्य में प्रतिपक्ष के विचार नहीं आ सके, यह स्थिति उचित नहीं होगी, को विचार में लेते हुये सदन के नेता ने सहृदयता का परिचय देते हुये सभा की कार्यवाही को स्थगित करने की भावना व्यक्त की और कार्यवाही प्रतिपक्ष के सदस्यों की उपस्थिति के लिये स्थगित की गई । सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के मध्य सद्भावना का भाव निरंतर पुष्ट रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है ।

वर्तमान सत्र में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोक सभा की अध्यक्ष माननीया श्रीमती सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में दिल्ली में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ । इस सम्मेलन का मुख्य विषय "महिला जनप्रतिनिधि-सशक्त भारत की निर्माता" था । इस सम्मेलन में इस सभा की समस्त महिला सदस्यों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशिला साहू के नेतृत्व में हिस्सा लिया ।

इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम "लैंगिक समानता के लिये **2030** तक दुनिया **50-50**" है, जिस पर सदन में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये ।

मार्च माह के द्वितीय सोमवार को राष्ट्रकुल के समस्त देश राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष राष्ट्रकुल दिवस की थीम "एक समेकित राष्ट्रकुल" है, तद्नुसार राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर सभा में विशेष उल्लेख किया गया ।

वर्तमान सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस विधायक दल के नेता की ओर से मुझे माननीय सदस्य श्री अमित जोगी को भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी से निष्कासित करने संबंधी सूचना भी प्राप्त हुई, जिस पर दिनांक **15** मार्च को संविधान की दसवीं अनुसूची एवं तद्नुसार बनाये गये दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम के तहत् निष्कासित सदस्य के संबंध में प्रकरण को निर्णित करते हुये यह निर्णित किया गया कि माननीय सदस्य श्री अमित जोगी को संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों से उन्मुक्ति रहेगी और वे सभा में स्वतंत्र अर्थात **Free (Politically independent)** सदस्य के रूप में कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा में पेपर का उपयोग कम से कम हो, साथ ही वेबसाईट पर समस्त जानकारी उपलब्ध होने से इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा सके इस हेतु वर्तमान बजट सत्र से **"**लेस पेपर योजना**"** का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया । शासन की सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी चिप्स के माध्यम से **"**ई-विधान**"** वेब पोर्टल तैयार कराया जाकर उसे विधान सभा की वेबसाईट से लिंक किया गया है । सत्र अवधि के दौरान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले साहित्य को **"**ई-विधान**"** के माध्यम से वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया तथा कुल **132** पीडीएफ फाईल में **6983** पृष्ठ उपलब्ध कराये गये हैं ।

"ई-विधान**"** वेब पोर्टल के अतिरिक्त विधान सभा की वेबसाईट में सत्र से संबंधित अधिसूचना, सामान्य सूची, दिनदर्शिका, प्रश्नों से संबंधित विभागों एवं माननीय सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्रक, दैनिक कार्यसूची, माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने वाले पत्रक भाग-दो, संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-**1**), प्रश्नोत्तरी एवं प्रति दिन जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति अपलोड की गई है । सत्रावधि में **16700** विजिटर्स के द्वारा विधान सभा की वेबसाईट पर एक लाख से अधिक पृष्ठ देखे गये जो विधान सभा की वेबसाईट की लोकप्रियता को इंगित करता है ।

मेरा सभी सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे इस बजट सत्र में वितरित किये गये साहित्य का संदर्भ **"**ई-विधान**"** पोर्टल के माध्यम से लें और अपने क्षेत्र की जनता को भी इस हेतु प्रोत्साहित करें कि वे विधान सभा की वेबसाईट और **"**ई-विधान**"** वेब पोर्टल के माध्यम से सभा की कार्यवाही और शासन के द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों की जानकारी से अवगत हों ।

बजट सत्र के दौरान सांस्कृतिक आयोजनों की परम्परा रही है । इस बजट सत्र में दिनांक **15** मार्च, **2016** को श्री मनोज जोशी द्वारा निर्देशित नाटक **'**चाणक्य**'** का मंचन संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सौजन्य से विधान सभा आडिटोरियम में हुआ । इस ऐतिहासिक नाटक में कलाकारों के जीवंत अभिनय ने सभी को प्रभावित किया । इस बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक **21** मार्च को होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देश के प्रख्यात कवि श्री कुमार विश्वास को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था । होली मिलन के इस कार्यक्रम में पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों में परस्पर समादर और स्नेह का भाव दृष्टिगोचर हुआ, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है ।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से अवगत कराना चाहूंगा :-

इस सत्र में कुल **20** बैठकों में लगभग **117** घण्टे **03** मिनट चर्चा हुई । इन बैठकों में **195** प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस सत्र में **1563** तारांकित एवं **1237** अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल **2800** प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई । इस सत्र

में ध्यानाकर्षण की कुल **617** सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिसमें **123** सूचनाएं ग्राह्य एवं **433** सूचनाएं अग्राह्य हुई तथा **61** सूचनायें नियम **267** (क) के अंतर्गत परिवर्तित की गई । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल **153** सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से **117** अग्राह्य हुई तथा एक विषय से संबंधित **36** सूचनायें सदन में ली जाकर अग्राह्य की गई। शून्यकाल की **135** सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिसमें **78** सूचनाएं ग्राह्य और **57** सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में **166** याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें **50** ग्राह्य एवं **116** अग्राह्य हुई ।

इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की **24** सूचनाएं दी गईं, जिनमें से **7** अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये, उनमें से **4** अशासकीय संकल्प स्वीकृत हुए एवं **3** अशासकीय संकल्प अस्वीकृत हुये । इस सत्र में नियम **139** के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल **6** सूचनायें प्राप्त हुई ।

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित **17** विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई तथा सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष **2015-16** के तृतीय अनुपूरक अनुमान पर **1** घण्टा **19** मिनट तथा वर्ष **2016-17** के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में **6** घण्टे **18** मिनट का समय लगा जबकि अनुदान की माँगों पर **54** घण्टे **38** मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर **5** घण्टे **20** मिनट चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रसारण सायं **4.30** से **5.30** बजे तक करने के साथ, विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस सत्र में प्रदेश के नागरिकों के साथ-साथ विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग **12500** लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया ।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में, मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुन:श्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी ।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा एवं सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परम्परा रही है, तद्नुसार आगामी मानसून सत्र जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में सम्भावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत्य संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी-सदस्य एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

22. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

सायं 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा